(क) रू0 5.00 लाख तक के ऋण पर ऋण के 10 प्रतिशत तथा रू0 5,00,001/– से रू0 10,00,000/– तक के ऋण पर ऋण के 5 प्रतिशत की छूट देय।

(ख) रू0 10.00 लाख से अधिक ऋण लिये जाने वाले प्रकरणों पर केवल रू0 10.00 लाख ऋण मानते हुये ऋण पर उक्त प्रस्तावित योजना के प्रस्तर–क के अनुसार छूट दी जायेगी।

(ग) पूर्व सैनिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री (अधिकतक दो बच्चों हेतु) हेतु तकनीकी शिक्षा के लिये बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर भी उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली छूट प्रदान की जायेगी।

अर्हताऐं

(1) ऋण प्राप्त करने की तिथि के छः माह के बाद प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

(2) प्रार्थना पत्र ऋण अदायगी की प्रथम किश्त की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(3) प्रार्थना पत्र के साथ ''नान इम्प्लायमेन्ट सर्टिफिकेट'', उपभोग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति, यदि वाहन क्रय किया गया हो तो वाहन के निबन्धन सर्टिफिकेट की छायाप्रति (वाहन का टैक्सी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है) इन्श्योरेन्स की छायाप्रति, पूर्व सैनिक/विधवा का बैंक खाते का विवरण संलग्न करना आवश्यक है। सभी प्रपत्र सत्यापित होना अनिवार्य है।

(4) कैश क्रेडिट लोन पर छूट देना अनुमन्य नहीं है। केवल टर्म लोन पर ही छूट अनुमन्य होगी।

(द) NDA/IMA/OTA/AF Academy/NavalAcademy /Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनि कों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

जे0सी0ओ0 रैक तक के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो पुत्र/पुत्रियों तक रू0 50,000/– प्रति की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना है। निम्न अर्हताऐं/अभिलेख आवश्यक हैं :–

अर्हताऐं

(क) प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।

(ख) उपरोक्त परीक्षाओं में चयनित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(ग) उपरोक्त से संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने संबंधी विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।

(घ) अभ्यर्थी के बैंक की पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड दर्शाया गया हो।

(ड़) पूर्व सैनिक के जीवित न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(च) प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों/ इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसकी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in है। उक्त वेबसाइट का उद्घाटन माननीया श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। उक्त वेबसाइट के माध्यम से पूर्व सैनिक/विधवा एवं उनके आश्रित आर्थिक अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश के भू0पू0 सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही योजनाऐं

राष्ट्रीय शहीद स्मारक

गेट नं0– 9, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
दूरभाष– 0522–2239523
ईमेल– upspn-lko@up.gov.in
विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in **पर उपलब्ध है।**

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 468/48/83.एस.के.11–2–(13)/79, दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा यू0पी0 पोस्टवार सर्विसेज रिकॉन्सट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा यू0पी0 स्पेशल फण्ड ट्रस्ट नामक दो ट्रस्टों को समामेलित कर उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा दी गयी कार्पस धनराशि के प्राप्त ब्याज से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति निम्नवत् है :–

क. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
ख. चीफ ऑफ स्टाफ, मध्य कमान –प्रथम उपाध्यक्ष
ग. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0–द्वितीय उपाध्यक्ष
घ. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा नामित दो पूर्व सैनिक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
च. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रूचि रखते हो।
छ. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रूचि रखता हो।
ज. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

2. **टाटा एजूकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट, मुम्बई** द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में टाटा ट्रस्ट द्वारा निधि की दो योजनाओं (वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं NDA/IMA/OTA/AF Academy/ Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायता) हेतु वर्श 2018–19 से तीन वर्शों तक रू0 1.00 करोड़ (प्रतिवर्श) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अ) वार्षिक शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष)

क्र0स.	कक्षा स्तर	संशोधित देय (Rs.)
क	कक्षा 9–10	3000
ख	कक्षा 11–12	4000
ग	स्नातक स्तर (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	5000
घ	स्नातकोत्तर स्तर– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	6000
ड़	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई0टी0आई0 एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	7500
च	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0,बी0टेक0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	15000

अर्हताऐं

शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताऐं आवश्यक हैं :–

(क) शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होते ही दिनांक 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
(ख) कक्षा 9 से तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पिछली कक्षा की अंकतालिका सत्यापित होना अनिवार्य है।
(ग) शैक्षिक सहायता एक पूर्व सैनिक/विधवा के दो बच्चों तक को ही अनुमन्य है।
(घ) केवल हवलदार रैक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी। यदि भू0पू0 सैनिक जीवित नहीं है तो जे0सी0ओ0रैक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी।
(ड़) भू0पू0 सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये।

(ब) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

भूतपूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ0 रैक तक) की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50,000/– (दरें दिनांक 19 जुलाई 2019 से संशोधित) प्रति पुत्री की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

अर्हताऐं

(क) विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
(ख) प्रार्थना पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति, कन्या एवं वर की पूरी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, वर एवं कन्या के विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सम्पन्न होने संबंधी प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक की विधवा का बैंक खाते का विवरण (सभी प्रपत्र सत्यापित) अवश्य संलग्न किया जाना चाहिये।
(ग) ग्राम प्रधान/सभासद एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की प्रार्थना पत्र (फार्म प्रारूप) पर संस्तुति होनी चाहिये।
(घ) प्रार्थना पत्र विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।
(ड़) यदि इस प्रयोजन हेतु शासन से सहायता प्राप्त हो चुकी है तो प्रार्थना पत्र निधि कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।

(स) भू0पू0 सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देना

भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवा द्वारा अपने पुनर्वास (स्वरोजगार) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर निम्न प्रकार छूट प्रदान की जाती है :– (दरें दिनांक 19 जुलाई 2019 से संशोधित)